कार्यपालक सार

“चेकों/ लिखतों के संग्रहण” संबंधी नीति भारतीय बैंक संघ द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिसे बैंक द्वारा अपनाया गया है. इस नीति की समीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष के दौरान प्राप्त दिशानिर्देशों के आधार पर की गई है.

“चेकों/ लिखतों के संग्रहण” संबंधी नीति की पिछली समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 29.01.2015 के संकल्प सं. ओ-5 द्वारा की गई थी.

अब इस नीति की समीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ग्राहक सेवा के साथ-साथ नोट में उल्लिखित एडिशन/ संशोधन जिसे ओआरएमसी द्वारा अपनी दिनांक 14.06.2016 की बैठक में अनुमोदित किया गया था, के संबंध में दिनांक 01.07.2015 के मास्टर परिपत्र आरबीआई/2015-16/59 डीबीआर नं. एलईजी.बीसी. 21/09.07.006/2015-16 के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर की गई है.

निदेशक मंडल की बैठक
कार्यसूची मद सं. ओ-6
दिनांक: 11.08.2016

<u>निदेशक मंडल के लिए नोट</u>

विचारार्थ मुद्दे

बैंक द्वारा अपनाई गई "चेकों/ लिखतों के संग्रहण" संबंधी नीति, जो भारतीय बैंक संघ द्वारा उपलब्ध कराई गई है और भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष के दौरान प्राप्त दिशानिर्देशों पर आधारित है, उसे अनुमोदित करना.

पृष्ठभूमि

"चेकों/ लिखतों के संग्रहण" संबंधी नीति की पिछली समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 29.01.2015 के संकल्प सं. ओ-5 द्वारा की गई थी.

निम्नलिखित मदों को जोड़ते हुए इस नीति की समीक्षा की गई.

पैरा सं.		नई मद (एडिशन):
4.1 पेज नं 8	अनुलग्नक -1	नई मद: **समाशोधन स्थगन के दौरान बैंकर्स चेक, ड्राफ्ट इत्यादि का तत्काल क्रेडिट** प्राधिकारियों/ बैंक के नियंत्रण में न हो, ऐसे कारणों से समाशोधन गृह परिचालनों के अस्थाई स्थगन के मामले में और जब यह समझा जाता है कि स्थगन दीर्घकालीन हो सकता है, ग्राहकों की कठिनाई को कम करने हेतु बैंक, बैंकर्स चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि और सरकारी विभागों द्वारा आहरित उनके खाते में जमा किए गए चेकों तथा स्थानीय बैंकों पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट का क्रय करके ऋणियों और निवेशकर्ताओं दोनों को सुविधा देने के हर संभव प्रयास कर सकता है. ऐसे लिखतों को बाद में अनादृत किए जाने की संभावना के परिप्रेक्ष्य में बैंक के हित को सुरक्षित रखने हेतु यह सुविधा ऋण पात्रता, निष्ठा, पिछले लेन-देन और ग्राहकों के पेशे के आधार पर प्रदान की जाएगी. (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ग्राहक सेवा के संबंध में जारी मास्टर परिपत्र आरबीआई/2015-16/59 डीबीआर सं.एलईजी.बीसी 21/09.07.006/2015-16 दिनांक 01.07.2015)

अनुशंसा

हम अब "चेकों/ लिखतों के संग्रहण" संबंधी संशोधित नीति प्रस्तुत कर रहे हैं और इसके अनुमोदन की अनुशंसा करते हैं.

यह नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने की तारीख से 12 महीनों तक प्रभाव में रहेगी.

विचारार्थ प्रस्तुत.

(के आर कनोजिया)
प्रमुख (परिचालन एवं सेवाएं)

परिचालन एवं सेवाएं
प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा

दिनांक: 27.07.2016

Approved by the ORMC in its meeting dated 14.06.2016

चेकों / लिखतों के संग्रहण संबंधी पॉलिसी

1. प्रारंभिक

आईबीए द्वारा दी गई मॉडल पॉलिसी के आधार पर 2005 में चेकों और लिखतों के संग्रहण पर पॉलिसी तैयार की गई और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक/आईबीए/बीसीएसबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप वार्षिक रूप से इसे नवीकृत किया जाता है. हमारे बैंक की यह संग्रहण पॉलिसी हमारे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के एवं कार्य निष्पादन के उच्च मानक निर्धारित करने के हमारे निरंतर प्रयासों का प्रतिबिम्ब है.

2. उद्देश्य / प्रयोजन

पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य बैंक के ग्राहकों हेतु चेक और अन्य लिखतों का संग्रहण और तथा चेकों/लिखतों के संग्रहण में विलंब की स्थिति में हमारी तकनीकी क्षमताओं, प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों को क्षतिपूर्ति करने के लिए अनुपालन हेतु फ्रेमवर्क उपलब्ध करवाना है.

यह पॉलिसी ग्राहकों के साथ व्यवहार में पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है. बैंक, ग्राहकों को त्वरित संग्रहण सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए तकनीकी का प्रयोग बढाने के लिए प्रतिबद्ध है.

3. स्कोप/कवरेज

यह पॉलिसी दस्तावेज निम्नलिखित पहलुओं को कवर करता है:

- सीटीएस समाशोधन के तहत समाहित करते हुए स्थानीय रुप से देय घरेलू चेकों एवं अन्य लिखतों की भारत के केन्द्रों में संग्रहण के लिए व्यवस्था.
- भारत के बाहर देय चेकों के संग्रहण, समयावधि, विलंब से संग्रहण पर ब्याज आदि हेतु प्रक्रिया.
- भारत और विदेशी देशों में देय चेकों को तुरंत जमा करना
- लिखतों के संग्रहण के लिए समय के मानदंडो के संबंध में प्रतिबद्धता
- जहां बैंक बाहरी स्टेशन के लिखतों की प्रोसीड्स के संग्रहण के लिए निर्धारित समय मानदंड़ों को पूरा करने में असफल रहता है, ऐसे मामलों में ब्याज का भुगतान करने संबंधी पॉलिसी
- मार्ग में/समाशोधन प्रक्रिया में या भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में संग्रहण हेतु लिखतों के खो जाने संबंधी कार्रवाई पॉलिसी
- रिटर्न हेतु कारण

घरेलू चेकों/लिखतों के संग्रहण और विदेशी देशों में देय चेकों के लिए संग्रहण हेतु समयावधि, त्वरित जमा, विलंब से संग्रहण हेतु ब्याज भुगतान आदि दिशानिर्देश/विस्तृत प्रक्रिया क्रमश: अनुलग्नक – 1 और अनुलग्नक -2 में दिए गए हैं.

सीटीएस समाशोधन सहित स्थानीय और बाहरी देय चेकों के संग्रहण हेतु प्रक्रिया जिसमें निम्नलिखित का समावेश होता है. (अनुलग्नक -1)

1. माइकर/नॉन माइकर केन्द्रों के स्थानीय चेक
    1.1 सीटीएस समाशोधन के माध्यम से स्थानीय चेक
2. बाहरी चेक
    2.1 हमारे बैंक की अपनी शाखाओं पर आहरित

2.2 अन्य बैंक के नेटवर्क पर आहरित बाहरी चेक

2.3 स्पीड समाशोधन के माध्यम से

3. स्थानीय/बाहरी चेकों/लिखतों को त्वरित जमा करना

3.1 त्वरित जमा के तहत बिना भुगतान लौटाए गए चेकों पर ब्याज

4. स्थानीय/बाहरी चेकों की खरीद
5. स्थानीय/बाहरी चेकों/लिखतों के संग्रहण हेतु समयावधि
6. विलंबित संग्रहण हेतु ब्याज का भुगतान

6.1 स्थानीय चेक

6.2 भारत के अंदर संग्रहण हेतु भेजे गए बाहरी चेक

7. सेवा प्रभार
8. कारणों की सूची के साथ तकनीकी कारणों की वजह से चेक रिटर्न
9. तृतीय पक्ष चेक का संग्रहण
10. मृतक व्यक्ति के नाम पर चेकों का संग्रहण
11. चेकों/ड्राफ्टों/बैंकर्स चेकों आदि की वैधता
12. ट्रांज़िट/समाशोधन प्रक्रिया या भुगतानकर्ता शाखा में खो गए चेक/लिखत

विदेशी देशों में देय चेकों के संग्रहण हेतु प्रक्रिया (अनुलग्नक - 2)

1. विदेशी देशों में देय चेक
2. विदेशी करेंसी चेकों को त्वरित जमा करना
3. सेवा प्रभार
4. विलंबित संग्रहण हेतु ब्याज का भुगतान

4. फोर्स मेजरः-

यदि (नागरिक दंगों, तोड़फोड़, तालाबंदी, हडताल या अन्य मजदूर रुकावटों, अकस्मात, आग, प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी दैवी कारणों से, युद्ध या बैंक अथवा उसके प्रतिनिधि बैंक की सुविधाओं को हानि पहुंचाने, संप्रेषण के सामान्य साधन या सभी प्रकार के यातायात के साधन आदि का अभाव आदि सहित के परंतु उतने तक सीमित न हो) बैंक के नियंत्रण के बाहर के अप्रत्याशित कारण, विनिर्दिष्ट सेवा प्रदान करने के मानदंडों के अंतर्गत उसके दायित्वों का निर्वाह करने में रुकावट बनते हैं, तो बैंक विलंब से जमा के लिए ग्राहक को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.

5. पॉलिसी की समीक्षा की अवधि

यह पॉलिसी बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी.

संग्रहण हेतु व्यवस्था :

ग्राहक शाखा के काउंटर पर या ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से (जहां उपलब्ध हो) व्यावसायिक घंटों के दौरान संग्रहण/समाशोधन हेतु चेक जमा कर सकते हैं.

1. **माइकर/नॉन माइकर केन्द्रों पर स्थानीय चेक**

स्थानीय रुप से देय सभी चेकों एवं अन्य परक्राम्य लिखत, केन्द्र पर प्रवर्तमान समाशोधन सिस्टम अर्थात माइकर/नॉन माइकर के माध्यम से प्रस्तुत किये जाएंगे. शाखा में काउंटर पर जमा करवाये गये तथा निर्धारित कट ऑफ समय से पहले चेक ड्रॉप बॉक्स में डाले गये चेक समाशोधन के तत्काल साइकल के दौरान समाशोधन के लिए प्रस्तुत किये जाएंगे. शाखा परिसर के अंदर एवं बाहर ऑफ साईट एटीएम सहित, किसी चेक ड्रॉप बॉक्स में कट ऑफ समय के बाद जमा कराये गये चेक अगले समाशोधन साइकल में शामिल किये जायेंगे. एक पॉलिसी के रुप में बैंक ग्राहक के खाते में जिस दिन समाशोधन निपटान होगा उस दिन जमा करेगा. इस प्रकार जमा की गयी राशि के आहरण के लिए उस केन्द्र में समाशोधन हाउस के चेक वापसी शिडयूल के अनुसार आहरण की अनुमति होगी.

शाखाएं अगले समाशोधन साइकल के दौरान समाशोधन में भेजने के लिए चेकों की प्राप्ति का कट ऑफ समय प्रदर्शित करेंगी. ऑफ साईट एटीएम में स्थापित चेक ड्रॉप बॉक्स से चेकों की संग्रहण के लिए कट ऑफ समय चेक ड्रॉप बॉक्स के सामने की तरफ प्रदर्शित किया जाएगा.

जहां समाशोधन हाउस उपलब्ध नहीं है, ऐसे केन्द्रों पर स्थित बैंक की शाखाएं स्थानीय चेक, अदाकर्ता बैंकों पर काउंटर पर प्रस्तुत करेंगी और यह बैंक का दायित्व होगा कि वे इनके प्रोसीड्स को यथाशीघ्र जमा करें.

इंटर सोल संव्यवहारों पर दिशानिर्देशों की पुष्टि के अधीन, हमारी शाखाओं पर आहरित स्थानीय चेक ग्राहकों के खातों में उसी दिन जमा किए जाएंगे.

1.1 **सीटीएस समाशोधन के माध्यम से स्थानीय चेक:**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश के प्रमुख भागों को कवर करते हुए नई दिल्ली में उत्तरी ग्रिड, मुंबई में पश्चिमी ग्रिड,चेन्नै में दक्षिणी ग्रिड में सीटीएस समाशोधन की शुरुआत की है.

जहां भी सीटीएस समाशोधन का कार्यान्वयन किया गया है वहां सीटीएस समाशोधन चक्र के समाशोधन निपटान के अनुरूप चेक जमा किए जाएंगे.

गैर सीटीएस लिखतों/चेकों के लिए, कम फ्रीकवेंसी पर गैर सीटीएस लिखतों की समाशोधन हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश हैं.

2. **बाहरी केन्द्रों के चेक**

2.1 हमारे बैंक की अपनी शाखाओं पर आहरित चेक

बैंक की अपनी बाहरी शाखाओं पर आहरित चेक इंटर सोल अंतरण संव्यवहार माने जाते हैं और इंटर सोल अंतरण संव्यवहारों हेतु दिशानिर्देशों के अनुरूप जमा किए जाते हैं. चूंकि बैंक की सभी शाखाएं सीबीएस प्लेटफॉर्म पर है, अत: उनकी किसी भी शाखा पर आहरित और **व्यावसायिक घंटों के दौरान प्राप्त** बाहरी लिखतों के संबंध में ग्राहकों को उसी दिन जमा दी जाती है.

2.2 **अन्य बैंक के नेटवर्क पर आहरित बाहरी चेक:**

बाहरी केन्द्रों पर अन्य बैंकों पर आहरित चेक सामान्यतया सीटीएस समाशोधन के माध्यम से संग्रहित किये जाएंगे. जिन केन्द्रों पर ऐसी संग्रहण सेवाएं उपलब्ध है वहां बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई राष्ट्रीय समाशोधन सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे.

2.3 त्वरित समाशोधन के माध्यम से बाहरी चेकों का संग्रहण

त्वरित समाशोधन अन्य बैंक की शाखाओं पर आहरित बाहरी चेकों को संदर्भित करता है जो कि कोर बैंकिंग (सीबीएस) एनवायर्नमेंट/स्थानीय प्लेटफॉर्म के तहत हैं.

ऐसी शाखाएं जो कि सीटीएस समाशोधन के तहत शामिल नहीं हैं, अन्य बैंक जो कि सीबीएस प्लेटफॉर्म पर हैं, परंतु सीटीएस समाशोधन के तहत शामिल नहीं है, पर आहरित बाहरी चेकों को त्वरित समाशोधन के माध्यम से संग्रहित करेंगी. भारतीय रिज़र्व बैंक की एक्सप्रेस चेक समाशोधन सिस्टम के तहत माइकर और नॉन माइकर केन्द्रों पर त्वरित समाशोधन कार्यान्वित की गई है.

3. <u>स्थानीय/बाहरी केन्द्रों के चेकों/लिखतों को तत्काल जमा करना:</u>

बैंक व्यक्तिगत खाताधारकों द्वारा संग्रहण के लिए प्रस्तुत किये गये समग्र रुपये 20,000/- के मूल्य तक के बाहरी केन्द्रों के चेकों/लिखतों को तत्काल जमा उपलब्ध कराने पर विचार करेगा, बशर्ते ऐसे केवायसी मानदंड पूरे किये गये खातों का कम से कम 6 मास की अवधि से **संतोषजनक व्यवहार** रहा हो. ऐसे संग्रहण लिखतों के पेटे तत्काल जमा ग्राहक के **विशिष्ट अनुरोध** पर या पूर्व की व्यवस्था के अनुरुप उपलब्ध कराया जाएगा. तत्काल जमा की यह सुविधा जहां औपचारिक समाशोधन गृह उपलब्ध नहीं है, ऐसे केन्द्रों पर स्थानीय चेकों के संबंध में भी उपलब्ध करायी जाएगी.

तत्काल जमा की सुविधा ग्राहकों के बचत बैंक/चालू/ओडी/नकद क्रेडिट खातों पर उपलब्ध करायी जाएगी. यह सुविधा देने के लिए खाते में न्यूनतम शेष राशि संबंधी कोई अलग निर्धारण नहीं होगा.

इस पॉलिसी के अंतर्गत मांग ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, ब्याज/लाभांश पत्र आदि जैसे लिखतों को चेकों के समान समझा जाएगा.

इस पॉलिसी के प्रयोजन से **संतोषजनक व्यवहार वाले** खाते निम्न में से एक होंगेः

ए) कम से कम 6 मास पूर्व खोला गया हो

बी) बैंक द्वारा किसी अनियमित संव्यवहार संबंधी कोई नोटिस न दिया गया हो.

सी) जहां तत्काल जमा दिये गये कोई चेक/लिखत वित्तीय कारणों से अदत्त लौटाए न गये हो.

डी) जहां बैंक को पूर्व में तत्काल जमा देने के बाद अदत्त लौटे चेकों सहित किसी अग्रिम के संग्रहण में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव न हुआ हो.

ई) जमा उपलब्ध करवाने की तारीख को खाते में, बैंक की केवायसी एएमएल पॉलिसी का अनुपालन किया गया हो.

बैंक संग्रहण के लिए प्रस्तुत किये गये बाहरी केन्द्र के लिखतों के पेटे तत्काल जमा उपलब्ध कराने के लिए नेमी वसूली प्रभार तथा अन्य फुटकर व्यय की वसूली करेगा. तथापि, चेक खरीद के लिए लागू विनिमय प्रभारों की वसूली नहीं की जायेगी.

त्वरित समाशोधन व्यवस्थाओं के अंतर्गत संग्रहण किये गये चेकों के लिए तत्काल जमा की सुविधा लागू नहीं होगी.

शाखाएं अपने नोटिस बोर्ड पर बाहरी चेकों के लिए तत्काल जमा योजना के लिए मुख्य मुद्दे ग्राहकों की जानकारी के लिए प्रदर्शित करेंगे. इसे बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.

तथापि, जहां बाहरी चेकों को तुरंत जमा करने के लिए उत्पाद विशिष्ट सीमा उपलब्ध करवाई गई है, वहां ग्राहकों को या रुपये 20,000/- तक, जो भी ज्यादा हो की बढोत्तरी की जा सकती है.

3.1 तत्काल जमा के तहत चेक अदत्त लौटने पर ब्याज:

यदि बैंक द्वारा जिस चेक के लिए तत्काल जमा दिया गया हो, ऐसा चेक अदत्त लौटाया जाता है, चेक के मूल्य की राशि को तत्काल खाते में नामे किया जाएगा. यदि बैंक का निधियों के आहरण के कारण निधियों से वंचित न रहना पड़ा हो, तो इसके लिए तत्काल जमा से लिखत को अदत्त लौटाए जाने की तारीख तक के लिए ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा. जहां प्रारंभ में खाते में जमा न दिया गया हो वहां, जहां ब्याज लागू होता होगा, वहां काल्पनिक अधिक आहरित शेष राशि पर प्रभारित किया जाएगा.

यदि चेक की प्राप्तियां बचत खाते में जमा की गई हो और आहरित नहीं की गई होगी, वहां इस प्रकार जमा की गई राशि तक ब्याज के भुगतान के लिए ध्यान में नहीं ली जाएगी, जब चेक अदत्त लौटाया जाता है. यदि प्राप्तियां किसी ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में जमा की गई होगी, वहां चेक अदत्त लौटाए जाने पर जितनी राशि के लिए बैंक की निधियां बाहर रहीं उतनी सीमा तक उस खाते में राशि जमा किए जाने की तारीख से प्रविष्टि के रिवर्स किए जाने की तारीख तक उस ओवर ड्राफ्ट/ऋण खाते पर लागू ब्याज दर से 2% अधिक की दर पर ब्याज की वसूली की जाएगी.

4 स्थानीय/बाहरी चेकों की खरीदः

बैंक अपने विवेकाधिकार से ग्राहक के अनुरोध पर या पूर्व व्यवस्था के अनुरुप संग्रहण के लिए प्रस्तुत किये गये स्थानीय/बाहरी केन्द्रों के चेकों को खरीद सकता है. खाते का व्यवहार संतोषजनक होने के साथ ही चेक के आहर्ता की हैसियत भी चेक की खरीद पर विचार करने हेतु एक विचारणीय तथ्य होगा.

समय –समय पर लगाए गए प्रभार लागू होंगे.

4.1

समाशोधन स्थगन के दौरान बैंकर्स चेक, ड्राफ्ट इत्यादि का तत्काल क्रेडिट

प्राधिकारियों/ बैंक के नियंत्रण में न हो, ऐसे कारणों से समाशोधन गृह परिचालनों के अस्थाई स्थगन के मामले में और जब यह समझा जाता है कि स्थगन दीर्घकालीन हो सकता है, ग्राहकों की कठिनाई को कम करने हेतु, बैंक बैंकर्स चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि और सरकारी विभागों द्वारा आहरित उनके खाते में जमा किए गए चेकों तथा स्थानीय बैंकों पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट का क्रय करके ऋणियों और निवेशकर्ताओं दोनों को सुविधा देने के हर संभव प्रयास कर सकता है. ऐसे लिखतों को बाद में अनादृत किए जाने की संभावना के परिप्रेक्ष्य में बैंक के हित को सुरक्षित रखने हेतु यह सुविधा ऋण पात्रता, निष्ठा, पिछले लेन-देन और ग्राहकों के पेशे के आधार पर प्रदान की जाएगी.

5. स्थानीय/बाहरी केन्द्र के चेकों/लिखतों के संग्रहण के लिए निर्धारित समयावधिः

समाशोधन में प्रस्तुत किये गये स्थानीय चेकों के लिए समाशोधन में निधियों के निपटान की तारीख पर जमा किया जायेगा और खाताधारक को प्रचलित वापसी समाशोधन मानदंडों के अनुसार निधियां आहरित करने की अनुमति होगी.

5.1 बैंकों जो कि सीबीएस प्लेटफॉर्म पर नहीं है, पर आहरित चेकों और अन्य लिखतों के लिए संग्रहण अवधि निम्नानुसार होगी:

क) चार प्रमुख मेट्रो केन्द्रों (नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै) में से किसी एक पर प्रस्तुत किये गये और अन्य तीन में से किसी पर देय चेक: 7 दिनों की अधिकतम अवधि

ख) महानगर एवं राज्य की राजधानियां (पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम को छोड़कर) पर आहरित: 10 दिनों की अधिकतम अवधि

ग) अन्य सभी केन्द्रों पर: 14 दिनों की अधिकतम अवधि

5.2 ऐसे बैंकों जो सीबीएस प्लेटफॉर्म पर हैं और स्थानीय समाशोधन हाउस के सदस्य हैं, पर आहरित चेक अगले दिन समाशोधन चक्र/दिन को संग्रहित किए जाएंगे.

6 विलंबित संग्रहण के लिए ब्याज का भुगतान

6.1 स्थानीय चेक :

बैंक की क्षतिपूर्ति पॉलिसी के अनुरूप, पैरा 5 में स्थानीय चेकों के संग्रहण के लिए निर्धारित की गई समयावधि के बाद जमा में विलंब के मामलों में, बैंक स्थानीय चेकों के संग्रहण की राशि पर ग्राहक को बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान करेगा.

सामान्य संग्रहण अवधि को छोड़कर विलंब की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा.

6.2 भारत में संग्रहण के लिए भेजे गए बाहरी केन्द्रों के चेक

बैंक की क्षतिपूर्ति पॉलिसी के भाग के रुप में यदि प्रोसीड्स जमा देने में उक्त दर्शाई गई समयावधि से अधिक समय लगता है, तो ऐसे मामलों में बैंक संग्रहण के लिखतों की राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा. ब्याज का यह भुगतान सभी प्रकार के खातों में ग्राहक की बिना मांग के किया जाएगा. विलंब से संग्रहण के मामले में ब्याज के भुगतान के संबंध में बैंक की अपनी शाखाओं पर आहरित या किसी अन्य बैंक की शाखाओं पर आहरित लिखतों में कोई भेद नहीं रखा जाएगा.

विलंब से संग्रहण के लिए ब्याज का भुगतान निम्नलिखित दरों पर किया जाएगाः-

(ए) प्रमुख महानगरीय केन्द्रों और राज्य की राजधानियों पर देय बाहरी केन्द्रों के चेकों के संग्रहण के मामले में 7/10 दिनों (14 दिनों तक) जैसा भी मामला हो, से अधिक की विलंब की अवधि के लिए बचत बैंक दर.

(बी) सभी केन्द्रों पर देय बाहरी चेकों के लिए, जहां विलंब 14 से अधिक दिनों परंतु 90 दिनों तक का होता है, वहां संबद्ध अवधि के लिए आवधिक जमाओं पर लागू ब्याज की दर पर भुगतान किया जाएगा.

(सी) सभी केन्द्रों पर देय चेकों के संग्रहण में, असाधारण विलंब के मामले में, अर्थात 90 से अधिक दिन हो जाने पर तदनुरुप आवधिक जमा राशि की दर से 2% अधिक दर पर भुगतान किया जाएगा.

(डी) यदि संग्रहण के तहत चेकों के प्रोसीड्स ग्राहक के ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में जमा किए जाते हैं, तो ऋण खाते पर लागू ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा. असाधारण विलंब के लिए ऋण खाते पर लागू ब्याज दर से 2% अधिक दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा.

यह नोट किया जाए कि ब्याज का उपरोक्तानुसार केवल भारत में संग्रहण के लिए भेजे गए लिखतों के संबंध में लागू होगा.

7. **सेवा प्रभार**:

सभी संग्रहण सुविधाओं के लिए बैंक समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित उपयुक्त सेवा प्रभारों की वसूली करेगा और बैंक की वेबसाइट पर उसे प्रदर्शित करके ग्राहकों को इसकी जानकारी देगा.

8. कारणों की सूची सहित तकनीकी कारणों से लौटाए गए चेक और लौटाए गए चेकों संबंधी अभ्यावेदन

तकनीकी कारणों से लौटाए गए चेकों संबंधी अभ्यावेदन (जहां आवश्यक और संभव हो) तुरंत अगली समाशोधन में 24 घंटों (अवकाश को छोड़कर) से ज्यादा नहीं, की समयावधि में प्रस्तुत किए जाने चाहिए.

यदि चेक में कोई परिवर्तन किया गया है तो चेक लौटा दिए जाएंगे. चेक पर आदाता का नाम, राशि (शब्दों में राशि) या राशि (राशि अंकों में) आदि में कोई परिवर्तन/सुधार, वैधता अवधि हेतु तारीख में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, ग्राहकों द्वारा नए चेक फॉर्मों का प्रयोग किया जाना चाहिए. यह सीटीएस -2010 ग्रिड आधारित समाशोधन केन्द्रों पर समाशोधन में प्रस्तुत किए गए लिखतों हेतु भी लागू होंगे. संग्रहणकर्ता बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे चेक सीटीएस में प्रस्तुति के लिए स्वीकार नहीं किए जाएं. यह अन्य समाशोधन व्यवस्थाओं जैसे माइकर समाशोधन, गैर माइकर समाशोधन, काउंटर पर कलेक्शन (नकदी भुगतान हेतु) या समाशोधन हाउस व्यवस्था के बाहर चेकों के प्रत्यक्ष संग्रहण के तहत क्लीयर किए गए चेकों पर लागू नहीं होंगे.

चेक रिटर्न प्रभार केवल वहीं लगाए जाएंगे जहां ग्राहक की भूल हो और वह ऐसे रिटर्न के लिए जिम्मेदार हो. ऐसे कारणों की सूची जहां ग्राहक की भूल नहीं है वे अनुलग्नक 1ए में दिए गए हैं.

9. तीसरी पार्टी चेकों का संग्रहण

बैंक अपने आदाता ग्राहकों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के आदाता के खाते में देय चेकों का संग्रहण नहीं करेगा. हालांकि, निम्नलिखित परिस्थितियों में बैंक तीसरी पार्टियों के लिए आदाता के खाते में देय चेकों को संग्रहित करेगा.

ए) जहां आहर्ता/आदाता बैंक को सूचित करता है कि आदाता के अलावा किसी अन्य खाते में संग्रहण के प्रोसीड्स जमा करें, यह अनुदेश 'आदाता के खाते में चेक' की विशेषता के विपरीत हैं, अत: बैंक आहर्ता/आदाता को चेक या आहर्ता द्वारा उस पर आहरित आदाता के खाते में मैंडेट देने को कहेगा. एक बैंक द्वारा आहरित तथा दूसरे बैंक को देय चेक के संबंध में भी यह अनुदेश लागू होंगे.

बी)भुगतान सिस्टम दृष्टिकोण से चेकों के संग्रहण की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, अपने ग्राहक के खाते में जमा करने के लिए उप सदस्य के पास जमा किए गए आदाता के खाते में जारी चेक, समाशोधन हाउस के सदस्य बैंक (प्रायोजक सदस्य के रूप में संदर्भित) द्वारा संग्रहित किए

जा सकते हैं. ऐसी व्यवस्थाओं के तहत, स्पष्ट वचनपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए कि आदाता के खाते में चेक, उगाही किए जाने पर केवल आदाता के खाते में जमा किया जाएगा.

सी) आदाता के खाते में चेकों के संग्रहण में को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटियों के सदस्यों द्वारा सामना की जानेवाली मुश्किलों को कम करने के उद्देश्य से, बैंक उनके ग्राहकों के खाते में रु. 50,000/- से अधिक की राशि हेतु आहरित आदाता के खाते में चेकों को संग्रहित करने पर विचार कर सकते हैं और ऐसे चेकों के आदाता ऐसी को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटियों के घटक होंगे. उपरोक्तानुसार चेकों को संग्रहित करते समय, बैंक संबंधित को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटियों से लिखित में स्पष्ट अभ्यावेदन प्राप्त करेंगी कि उगाही करने पर, चेकों के प्रोसीड्स क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी के सदस्य, जो कि चेक में आदाता है, के खाते में ही जमा किए जाएंगे. तथापि, यह पराक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 131 सहित के प्रावधानों की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के अधीन है.

यह ड्राफ्ट, भुगतान आदेश और बैंकर्स चेक पर भी लागू होंगे.

10. मृतक व्यक्तियों के नाम पर चेकों का संग्रहण

मृतक व्यक्ति के नाम पर चेक के संग्रहण हेतु बैंक मृतक खाताधारक के उत्तरजीवी/यों / नामितियों से “मृतक श्री _____ की संपदा” नाम से खाता खोलने के प्राधिकार पत्र प्राप्त करेंगे. इसमें मृतक खाताधारक के नाम पर पाइपलाइन में हों ऐसे सभी प्रोसीड्स को जमा करने की अनुमति होगी बशर्ते कोई आहरण नहीं किया गया हो.

या

बैंक को उत्तरजीवी/यों/नामितियों द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा कि वह मार्गस्थ प्राप्तियों "खाताधारक मृतक” ऐसी टिप्पणी के साथ प्रेषक को वापिस भेज सकें और वह उत्तरजीवी/यों/नामितियों को तद्नुसार सूचित करेगा तब उत्तरजीवी/नामिती/कानूनी वारिस प्रेषक से संपर्क करके भुगतान को किसी परक्राम्य लिखत या ईसीएस अंतरण के जरिए उचित लाभार्थी के नाम पर ही भुगतान करें.

11. चेकों/ड्राफ्टों/भुगतान आदेशों/बैंकर्स चेकों की वैधता

1 अप्रैल 2012 से, चेकों/ड्राफ्टों/बैंकर्स चेकों की वैधता जारी किए जाने की तारीख से तीन महीने तक वैध होंगे. 01.04.2012 के बाद प्रिंट किए गए चेक के पन्नों, ड्राफ्टों/बैंकर्स चेकों के सामने के भाग में वैधता अवधि का उल्लेख किया गया है. जारी किए जाने की तारीख से तीन महीनों की वैधता अवधि के भीतर लिखतों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

12. मार्ग में/समाशोधन प्रक्रिया में या अदाकर्ता बैंक शाखा में लिखत/चेकों का खो जाना

यदि संग्रहण के लिए स्वीकृत किया गया कोई चेक या लिखत मार्ग में या समाशोधन की प्रक्रिया में या अदाकर्ता बैंक की शाखा में खो जाता है, तो बैंक हानि का पता चलने पर तत्काल खाताधारक को ध्यान में लाएगा, ताकि खाताधारक आहर्ता को “भुगतान रोकने” का अनुदेश देने के बारे में सूचित कर सके, साथ ही उसके द्वारा कोई चेक जारी किया गया हो, तो गुमशुदा चेकों/लिखतों की

राशि या उसके खाते में जमा न होने के कारण वह अनादृत न हो इसका ध्यान रख सके. बैंक ग्राहक को चेक के आहर्ता की ओर से डुप्लिकेट चेक प्राप्त करने के संबंध में पूरी सहायता करेगा.

ऐसे गुम हो जाने का दायित्व संग्रहणकर्ता बैंकर के पास रहता है न कि खाता धारक के पास-

यदि चेक/लिखत भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में खोया है, तो संग्रहणकर्ता बैंकर चेक/लिखत खो जाने के लिए ग्राहक को प्रतिपूर्ति की गई राशि की वसूली भुगतानकर्ता बैंकर से करने का अधिकार रखता है.

बैंक अपनी क्षतिपूर्ति पॉलिसी के अनुरुप मार्ग में गुम हुए लिखतों के संबंध में खाताधारक की निम्नलिखित तरीकों से क्षतिपूर्ति करेगा.

(ए) यदि ग्राहक को लिखत खो जाने की सूचना संग्रहण के लिए निर्धारित समय के बाद दी जाती है (7/10/14 दिन जैसा भी मामला हो), वहां निर्धारित वसूली अवधि से अधिक की अवधि के लिए मद सं. 4 में दर्शाई गई दरों पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा.

(बी) इसके अतिरिक्त, बैंक डुप्लिकेट चेक/लिखत प्राप्त करने में और उसके संग्रहण में होने वाले और विलंब के लिए बचत बैंक दर पर और 15 दिनों की अवधि के लिए चेक की राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा.

(सी) यदि डुप्लिकेट चेक/लिखत किसी बैंक/संस्था से प्राप्त किया जाना हो और वे डुप्लिकेट लिखत जारी करने हेतु कोई शुल्क प्रभारित करता है, वहां बैंक डुप्लिकेट चेक/लिखत प्राप्त करने में उसे कोई वार्षिक प्रभार देना पड़े, उसकी भी रसीद प्रस्तुत करने पर बैंक क्षतिपूर्ति करेगा. अदाकर्ता बैंक में ग्राहक द्वारा गुमशुदा चेक का भुगतान रूकवाने हेतु अदा किए गए प्रभारों की बैंक क्षतिपूर्ति करेगा.

(डी) यदि चेक उसको भुनाए जाने के बाद गुम होता है, वहां बैंक लिखत के खो जाने का पता चलने पर 15 दिनों के लिए ब्याज की वसूली नहीं करेगा. इससे ऋणकर्ता को आहर्ता से डुप्लीकेट लिखत प्राप्त करने का पर्याप्त समय मिलेगा. यदि ऋणकर्ता 15 दिनों तक खाते के निपटाने में विफल होता है तो जब तक अग्रिम पूर्णतया चुकता नहीं हो जाता है, तब तक की अवधि के लिए संविदागत दर पर उनसे ब्याज वसूला जाएगा.

अनुलग्नक :1-ए

जहां ग्राहक की भूल नहीं है, ऐसे आपत्ति/कारणों की व्याख्यात्मक न कि व्यापक सूची

(एकीकृत विनियामक और बैंकर्स समाशोधन हाउस के नियमों के अनुलग्नक डी में बताए गए लिखत और इमेज आधारित चेक समाशोधन के लिए लागू)

कोड नं	रिटर्न के कारण
33	लिखत कटा फटा है: बैंक गारंटी अपेक्षित है
35	समाशोधन हाउस की मुहर/तारीख अपेक्षित है
36	गलत सुपुर्दगी/हम पर आहरित नहीं है
37	योग्य अंचल में प्रस्तुत
38	लिखत में असंगत विवरणों का उल्लेख है
39	इमेज क्लीयर नहीं है; दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करें
40	दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करें
41	मदों का दो बार उल्लेख किया गया है
42	दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं
60	दो बैंकों को क्रॉस किया गया है
61	क्रॉसिंग स्टैम्प रद्द नहीं हुआ है
62	समाशोधन स्टैम्प रद्द नहीं हुआ है
63	लिखत विशेष तौर पर दूसरे बैंक को क्रॉस किए गए हैं
67	आदाता का पृष्ठांकन अनियमित है/ संग्रहणकर्ता बैंक की पुष्टि चाहिए
68	चिन्ह/अंगूठे के निशान द्वारा पृष्ठांकन को मुहर के साथ मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए
70	एडवाइस प्राप्त नहीं हुई है
71	एडवाइस पर राशि/नाम अलग है
72	प्रायोजक बैंक के पास आहर्ता बैंक की निधियां अपर्याप्त हैं (उप सदस्यों को लागू)
73	बैंक को आदाता का अलग से डिस्चार्ज अपेक्षित है
74	अगले 1 आगामी महीने तक देय नहीं
75	भुगतान आदेश पर प्रति हस्ताक्षर आवश्यक हैं
76	अपेक्षित जानकारी स्पष्ट/सही नहीं है
80	बैंक का प्रमाणपत्र अस्पष्ट/अपूर्ण/अपेक्षित है
81	जारीकर्ता कार्यालय द्वारा ड्राफ्ट गुम हो गया है; जारीकर्ता कार्यालय से पुष्टि आवश्यक है
82	बैंक/शाखा ब्लॉक है
83	डिजिटल प्रमाणपत्र वैधता फेल हो गई
84	अन्य कारण – कनेक्टिविटी फेल हो गई
87	'आदाता के खाते में जमा किया गया है' – मुहर अपेक्षित है
92	बैंक शामिल नहीं है

अनुलग्नक – II

1. विदेशों में देय चेक

जहां बैंक की शाखा परिचालन है (या अनुषंगी के माध्यम से बैंकिंग परिचालन आदि) ऐसे विदेशी केन्द्रों पर देय चेक उस कार्यालय के माध्यम से वसूल किये जाएगे. जिन देशों/केन्द्रों पर प्रतिनिधि बैंक उपलब्ध होंगे वहां ऐसे प्रतिनिधि बैंकों की सेवाओं का उपयोग किया जायेगा. जहां पर बैंक या उसके प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रुप से उपस्थित नहीं है वहां विदेशी बैंकों पर आहरित चेक सीधे ही अदाकर्ता बैंक को ऐसे अनुदेशों के साथ भेजा जाएगा कि प्राप्तियां बैंक के प्रतिनिधि बैंकों में रखे गये किसी नोस्ट्रो खाते में जमा की जाए.

जमा प्रदान करने की अधिकतम अवधि 25 कार्य दिवस या 1 कैलेंडर महीना, जो भी अधिक हो, होगी. (उन देशों में अवकाश के अधीन)

उपरोक्त समयावधि, चेक/लिखत, बैंक की अपनी शाखाओं पर आहरित हैं या अन्य बैंकों की शाखाओं पर इस बात पर विचार किए बिना सभी पर लागू होंगे.

'चेकों का अनादरण' पर पॉलिसी के अनुरूप अनादृत लिखत ग्राहकों को लौटाए/प्रेषित किए जाएंगे.

<u>भारत के बाहर देय विदेशी मुद्रा मूल्य वर्ग के चेकों का संग्रहण</u>

यूएस डॉलर के चेकों के संग्रहण के लिए बैंक के पास **समय-समय पर निर्धारित बैंकों** के साथ व्यवस्था है**.** शाखाएं चेक सीधे ही उनके (निर्धारित बैंक के) मुंबई कार्यालय को भेजें. प्रतिनिधि बैंक चेकों को परिवर्तित करता है और उनकी इमेज को उसी दिन यूएस स्थित उनके बैंक में भेजता है जिससे मार्गस्थ समय बच जाता है.

यूरो/जीबीपी जैसी मुद्राओं में आहरित चेकों के लिए संग्रहण हेतु हमारी शाखाओं में प्रस्तुत किये जाने पर, यूरो में आहरित चेक संग्रहण के लिए हमारी ब्रुसल्स शाखा को भेजे जाते हैं और जीबीपी में आहरित चेक हमारी लंदन मुख्य शाखा को भेजे जाते हैं. इन मुद्राओं में प्रमुख संव्यवहार वायर अंतरण के माध्यम से किये जाते हैं.

अतः यूरो/जीबीपी संवर्ग के चेकों के संग्रहण के लिए कोई अलग प्रतिनिधि बैंकिंग व्यवस्था नहीं रखी गयी है.

बैंक अपने ग्राहकों को शीघ्र जमा उपलब्ध कराने के प्रयत्न करेगा. गैर प्राधिकृत शाखाओं में प्राप्त देशी मुद्रा चेकों को संग्रहण के लिए प्राधिकृत शाखा को भेजा जाता है. प्राधिकृत शाखा उसी दिन बैंक के अनुमोदित विश्वसनीय कूरियर सेवा के माध्यम से अपने प्रतिनिधि बैंक को भेजती है. लिखतों के संग्रहण एवं उसकी वापसी संबंधी समय मानदंड अलग-अलग देश में अलग-अलग और किसी एक देश में भी अलग-अलग जगहों के लिए अलग-अलग होते हैं, जहां "कूलिंग अवधि" निर्धारित की गयी है, जो निम्नानुसार है:

- न्यूयार्क, यूएसए पर 6 कार्य दिवस
- यूएसए में अन्य केन्द्रों पर 15 कार्य दिवस

- यूके में लंदन पर 5 कार्य दिवस
- यूके में अन्य केन्द्रों पर 15 कार्य दिवस
- ब्रुसल्स में 1 मास

नोस्ट्रो खाते में राशि जमा होने की तारीख से जमा को ग्राहक के खाते में प्रभावी किया जाएगा. अपवादात्मक मामलों में, जहां जमा देने में विलंब होता है, **विलंब की अवधि के लिए** लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है.

2. विदेशी मुद्रा चेकों को तत्काल जमा करना

बैंक ग्राहकों के निजी चेकों /लिखतों, मांग ड्राफ्ट, अंतर्राष्ट्रीय मनी ऑर्डर, विदेशों में देय बैंकर्स भुगतान आदेश आदि को खरीदकर अपफ्रंट की जमा की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर सकता है. यदि पूर्व में खाते का व्यवहार संतोषजनक रहा हो, वहां बैंक अपने विवेकाधिकार से प्रभार लगाते हुए अर्थात लागू खरीद दर + घरेलू कमर्शियल ब्याज दर पर 15 दिनों की मार्गस्थ अवधि के लिए ब्याज (आधार दर + 3%). वैकल्पिक रुप से, ग्राहक हमारे बैंक के कुछ प्रतिनिधियों द्वारा शुल्क के भुगतान के आधार पर उपलब्ध करायी गयी फाइनल क्रेडिट सेवा का उपयोग कर सकता है, जो कुछ शर्तों के अधीन रिर्टन फ्री क्रेडिट देता है.

भारत से बाहर स्थित अन्य बैंकों/ हमारी शाखाओं पर आहरित चेकों/लिखतों को ग्राहक के जोखिम और जिम्मेदारी पर वसूल किया जायेगा जिसके लिए शाखाओं द्वारा ग्राहक से क्षतिपूर्ति पत्र (अनुलग्नक-IIए) लिया जाएगा.

3. सेवा प्रभार

विदेशी मुद्रा के चेकों के संग्रहण के लिए अलग प्रभार तालिका है जो निम्नानुसार हैः-

संग्रहण के लिए बेजमानती लिखत

विदेशों में संग्रहण के लिए भेजे गए बेजमानती लिखतों पर **समय-समय पर बैंक द्वारा अनुमोदित प्रचलित दरों पर** कमीशन वसूल किया जाएगा.

4. विदेशों में संग्रहण के लिए भेजे गए चेकों की विलंब से संग्रहण के लिए ब्याज का भुगतान

बैंक विदेशों में संग्रहण के लिए भेजे गए लिखतों के मामलों में जहां खाते में जमा न दिया गया हो, वहां अपने ग्राहकों को ब्याज का भुगतान करेगा.

बैंक चेक की राशि पर उनके नोस्ट्रो खाते में जमा की तारीख से जब तक राशि ग्राहक के खाते में जमा नहीं हो जाती तब तक की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करेगा. ग्राहक के खाते में जमा की गई प्रोसीड्स की राशि पर बचत बैंक दर पर गणना करके ब्याज का भुगतान किया जाएगा.

जिन संव्यवहारों में पुष्टिकृत विनिमय दर पर रुपांतरण संबंधित हो, उनको छोड़ कर अन्य मामलों में शनिवार को कार्य दिवस मानना जारी रखा जाएगा,

अतिरिक्त ब्याजः-

बैंक की पॉलिसी के अनुसार घोषणा की गई संग्रहण अवधि से अधिक समय तक की वसूली में विलंब होने पर ग्राहक को अतिरिक्त ब्याज का भुगतान किया जाएगा, चाहे ग्राहक द्वारा उसके लिए अनुरोध किया न गया हो और ऐसा ब्याज विलंब की अवधि के लिए "स्टेपअप आधार" पर किया जाएगा.

विलंब से संग्रहण पर ब्याज का भुगतान निम्नलिखित दरों पर किया जाएगा:

विलंब की अवधि के लिए लागू बचत दर से 2% अधिक दर

ग्राहक को विनिमय दर में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण हानि होने पर अर्थात वह वास्तविक दर, जिस पर विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपयों में परिवर्तित किया जाता है तथा भुगतान की नियत तारीख के विनियम दर के बीच यदि कोई अंतर है तो उसके कारण हानि होने पर ग्राहक की क्षति-पूर्ति की जाएगी.

****

परिशिष्ट – II. ए

क्षतिपूर्ति पत्र के रूप में स्टाम्पित किया जाना है

क्षतिपूर्ति का मसौदा

(भारत के बाहर आहरित चेकों की उगाही के लिए)

स्थान:

दिनांक:

प्रति,

_____

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

_____, शाखा

प्रिय महोदय,

आपके द्वारा अन्य बैंकों/ भारत के बाहर स्थित आपकी शाखाओं (संक्षेप में, विदेशी शाखाएं) पर मेरे / हमारे पक्ष में आहरित चेकों के संग्रहण और मेरे/हमारे बचत/या अन्य जमा खातों _____ / _____में जमा करने का कार्य सम्भालने / सम्हालने हेतु सहमत होने के एवज में, बैंक ऑफ़ बड़ौदा को मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से ऐसे विदेशी चेकों एवं अन्य लिखतों के संग्रहण, उसके द्वारा मेरे/हमारे एजेंट के रुप में कार्यों के कारण या परिणामस्वरुप, होने वाली सभी कार्रवाइयों, हानियों, लागतों, परिणामों, प्रभारों, व्ययों, दावों एवं मांगों आदि तथा ऐसे दावों सहित कि जो चेकों या अन्य लिखतों की अदत्त वापसी एवं/या विसंगतियों, चाहे वे तकनीकी या वित्तीय हो, जिनका पता चेकों और अन्य लिखतों की प्राप्तियां मेरे/हमारे खाता संख्या_____ / _____में जमा हो जाने एवं मुझे/हमें उस खाते /तों से राशि निकालने/आहरित करने की अनुमति दी जाने के बाद चलता है, मैं/हम उन सभी के संबंध में आपको क्षतिपूरित करने और क्षतिपूरित रखने, हानि से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए मैं/ हम एतद्वारा सहमत होते हैं, वचनबद्ध होते हैं और आश्वस्त करते हैं चाहे बैंक द्वारा मुझसे/हमसे मांग करते/दावा करते समय उक्त खाता/खाते चाहे सक्रिय हो या न हो.

भवदीय,

(ग्राहक/कों का/के नाम)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

बोर्ड की बैठक :
कार्यसूची मद सं.: ओ-6
दिनांक : 11.08.2016

संकल्प

"चेकों/लिखतों के संग्रहण" पर नीति के अनुमोदन के संबंध श्री के आर कनोजिया, प्रमुख, (परिचालन एवं सेवाएं), प्रधान कार्यालय, बड़ौदा द्वारा अनुशंसित और श्री पी एस जयकुमार, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा प्रायोजित कार्यसूची मद सं. ओ-6 दिनांक 11.08.2016 पर विचार किया था और यह निम्नानुसार था :

संकल्प किया जाता है कि कार्यसूची नोट के साथ प्रस्तुत अतिरिक्त/ संशोधन के साथ "चेकों/लिखतों के संग्रहण" पर नीति को अनुमोदित किया जाये और एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है.

यह नीति बोर्ड के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगी.

परिचालन एवं सेवाएँ विभाग,
प्रधान कार्यालय, बड़ौदा